उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गाँधी मार्ग पर दिनांक 17-5-1983 को 10-30 बजे पूर्वाह्न में हुई उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की वर्ष-1983 की चतुर्थ बैठक का कार्यवृत्त

निम्नलिखित उपस्थित थे:-

| | | |
|---|---|---|
| (1) श्री बी0जे0बोदायजी | | अध्यक्ष |
| (2) श्रीमती दीपा कौल | | सदस्या |
| (3) श्री माता प्रसाद | सदस्य विधान परिषद | सदस्य |
| (4) श्री राम पाल सिंह | | सदस्य |
| (5) श्री आर0एस0माथुर | सचिव, आवास एवं नगर विकास विभाग, उ0प्र0शासन एवं आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद। | सदस्य |
| (6) श्री शिव कुमार शर्मा | प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0जल निगम | सदस्य |
| (7) श्री जे0पी0दुबे | मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 | सदस्य |
| (8) श्री त्रिवेणी सहायक | संयुक्त सचिव, वित्त (वित्त सचिव के प्रतिनिधि) | सदस्य |

बैठक में विचार-विमर्श के उपरान्त निम्न मदों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिये गये:-

| क्र0सं0 | विषय | संकल्प संख्या | निर्णय |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1- | दिनांक 24-3-1983 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि। | चतुर्थ/(1)/83 | परिषद की दिनांक 24-3-1983 को हुई बैठक के कार्यवाही की पुष्टि इस संशोधन के साथ की गयी कि मद संख्या-2 के क्रमांक-17 में ''Grass subsidy'' के स्थान पर ''Gross subsidy'' लिख दिया जाय तथा इसी मद के क्रमांक-22 की पाँचवी पंक्ति में ''सम्बन्ध'' शब्द निकाल दिया जाय। |
| 2- | परिषद की बैठक दिनांक 24-3-1983 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या। | चतुर्थ/(2)/83 | परिषद् द्वारा दिनांक 24-3-1983 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित आख्या की विस्तृत समीक्षा की गयी और सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-<br>1- सहायक निदेशक(प्रचार)के रिक्त पद को उप आवास आयुक्त(सं0प्र0एवं प्रचार)के पदनाम में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में विस्तृत टिप्पणी परिषद की अगली बैठक में रखी जाय।<br>2- कानपुर एवं वाराणसी इकाईयों के लिये विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारियों के पदों का सृजन शीघ्र कराने हेतु शासन के आवास विभाग से व्यक्तिगत स्तर से संपर्क किया जाय और तदोपरान्त सृजित पदों पर सुयोग्य अधिकारियों को तैनातियाँ करायी जायें।<br>3- पूर्व संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में मुरादाबाद एवं अलीगढ़ में पुलिस कर्मियों द्वारा परिषद के आवास गृहों पर किये गये अनधिकृत अतिक्रमण के संदर्भ में माननीय मुख्य मंत्री जी से वार्ता हेतु शीघ्र समय लिया जाय ताकि परिषद के अध्यक्ष और शासकीय सदस्यगण माननीय मुख्य मंत्री जी से मिलकर इस स्थिति को उनके संज्ञान में लायें और इस समस्या का शीघ्र निराकरण करायें। |

1 2 3 4

यह भी निर्णय लिया गया कि माननीय मुख्य मंत्री जी के समक्ष रखने के लिये एक तथ्यात्मक एवं स्वत: पूर्ण ज्ञापन पहले से तैयार कर बैठक के पहिले उनके सचिव के पास भेज दिया जाय।

4- परिषद की इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ में 80 मध्यम आय वर्ग एम0ए0/75 प्रकार के भवनों की प्राविधिक परीक्षण के सम्बन्ध में शासन व्दारा लिये गये निर्णय के कार्यान्वियन हेतु मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्तर पर लम्बित कार्यवाही अविलम्ब संपन्न करायी जाय और अनुपालन आख्या परिषद की अगली बैठक में रखी जाय।

5- परिषद व्दारा निर्मित कालोनीज को स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में प्रत्येक कालोनी से सम्बन्धित विस्तृत टिप्पणी अधीक्षण अभियन्ताओं को अगली बैठक के समय अवश्य तैयार करा ली जाय और उसे अध्यक्ष महोदय के समक्ष रखकर अग्रिम कार्यवाही पूर्व निर्णयानुसार करायी जाय।

6- परिषद के लेखों के समायोजन तथा मिलान एवं लेखा मैनुअल तैयार करने के सम्बन्ध में अद्यावधिक प्रगति की जानकारी परिषद को करायी गयी। परिषद ने निर्णय लिया कि भविष्य में परिषद की प्रत्येक बैठक में निर्धारित लक्ष्य और उसकी पूर्ति की स्थिति दिग्दर्शित करते हुये एक विवरण तालिका के रूप में रखा जाय।

यह भी निर्णय लिया गया कि समायोजन तथा मिलान का कार्य पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक दशा में अवश्य पूरा कराया जाय।

7- आगरा की कमला नगर आवासीय योजना में ग्राम लश्करपुर की भूमि के सम्बन्ध में शासन व्दारा लिये गये निर्णय का अनुपालन जिला स्तर से न करने की स्थिति की जानकारी परिषद को करायी गयी। परिषद ने निर्णय लिया कि जब परिषद के अध्यक्ष और अशासकीय सदस्यगण माननीय मुख्य मंत्री जी से मिलें तो उस समय इस संदर्भ में भी उनका ध्यान आकर्षित करें। माननीय मुख्य मंत्री जी को देने के लिये ज्ञापन पहले से तैयार कर लिया जाय और उसे उनके सचिव के पास पहले से भेज दिया जाय।

8- उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 में प्रस्तावित संशोधनों की एक संहत सूची अध्यक्ष उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत की जाय ताकि वे इसे पुनरीक्षित कर परिषद की बैठक में प्रस्तुत कर सकें।

9- पिथौरागढ़, रानीखेत, मंसूरी, गोपेश्वर, हरिद्वार, मोदीनगर, काशीपुर तथा सुल्तानपुर नगरों की आवासीय योजना हेतु धारा-28 के प्रस्ताव परिषद की अगली बैठक में अवश्य रखे जायें।

यह भी निर्णय लिया गया कि स्थल चयन की जिस समिति में सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता स्वयं भाग ले रहे हों उनसे सम्बन्धित चयन समिति की रिपोर्ट पर अलग से अधीक्षण अभियन्ता के प्रमाण-पत्र देने की आवश्यकता नहीं है।

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|

10- प्रशासनिक व्यय में कटौती किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत टिप्पणी पर विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि इसका पुन: विस्तार से परीक्षण किया जाय और यह रखा जाय कि प्रशासनिक व्यय में किन-किन मदों में कटौती किया जाना संभव है और अगली बैठक में आख्या प्रस्तुत की जाय।

11- चौक क्षेत्र लखनऊ में महात्मा गाँधी स्मारक अस्पताल के आसपास की भूमि में परिषद की आवासीय योजना चलाये जाने के सम्बन्ध में गठित उप समिति की रिपोर्ट पर विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि उक्त स्थल पर परिषद की कोई योजना न चलायी जाय।

12- वर्ष-1976-77 व 1977-78 के पक्के चिट्ठे जो विधान मण्डल के दोनों सदनों के पटल पर रखे जाने थे के सम्बन्ध में अविलम्ब कार्यवाही की जाय और महालेखाकार, उ0प्र0 की वांछित रिपोर्ट व्यक्तिगत संपर्क कर शासन से प्राप्त की जाय। यदि इसके बावजूद रिपोर्ट शासन से उपलब्ध न हो पाये तो महालेखाकार उ0प्र0को स्थिति से अवगत कराकर पूर्व प्रेषित रिपोर्ट की एक अधिकारिक प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाय।

13- सिविल लाइन्स भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, कानपुर की भूमि के सम्बन्ध में इसका परीक्षण कर लिया जाय। यदि उक्त भूमि बाज़ार दर पर अधिग्रहीत कर ली जाती है तो स्कीम लायबुल( Viable ) होगी या नहीं की विस्तृत आख्या परिषद की अगली बैठक में रखी जाय।

14- उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद सहायक अभियन्ता सेवा विनियमावली-1973 को सहायक अभियन्ता (विद्युत/यान्त्रिक) के लिये लागू कराने हेतु विनियमावली का आलेख्य अविलम्ब तैयार कर लिया जाय और परिषद के विचारार्थ अगली बैठक में रखा जाय।

15- दुर्बल आय वर्ग हेतु जो भवन बनाये जा रहे हैं उनमें भूमि के मूल्य के वित्तीय अनुदान '' Gross subsidy '' देने के लिये एक विस्तृत टिप्पणी परिषद की अगली बैठक में अवश्य रखी जाय।

16- किस्त क्रय पद्धति पर आवंटित भवनों के किस्तों की वसूली की स्थिति सम्पत्ति के वर्गवार रखने के बारे में विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि यह विवरण वर्ष में एक बार वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में परिषद की बैठक में अवश्य रखा जाय।

17- वाह्य विद्युतीकरण हेतु उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद के पास लम्बित काफी दिनों से धनराशि के बारे में लिये गये निर्णयानुसार अध्यक्ष, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद के स्तर पर प्रस्तावित बैठक शीघ्र करायी जाय और इस समस्या का निराकरण कराया जाय।

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|

18- परिषद व्दारा निर्मित सम्पत्ति तथा मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत सम्पत्तियों के बीच जो अन्तराल है उसे कम कराने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाय और जो सम्पत्तियां पूर्ण दर्शायी गयी हैं उनके मूल्यांकन अभिलेख मूल्यांकन अधिकारी के पास अविलम्ब भिजवाये जायें ताकि सभी निर्मित सम्पत्तियों का शीघ्र आवंटन कराया जा सके।

19- मूलधन व व्याज की गणना अलग अलग करके प्रविष्टियां सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालयों में करने हेतु दिये गये परिषद निर्देशों के कार्यान्वयन का अनुश्रवण ज्येष्ठ लेखाधिकारी अपने स्तर तत्काल करें और अद्यावधिक स्थिति दर्शाते हुये एक टिप्पणी परिषद की अगली बैठक में रखें।

20- परिषद के अशासकीय सदस्य श्री राम पाल सिंह व्दारा प्रस्तुत इस आशय के प्रस्ताव कि 2% भवन का आवंटन परिषद के अध्यक्ष के विवेक पर रखा जाय, का विस्तृत परीक्षण शीघ्र किया जाय और इस सम्बन्ध में दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा पश्चिमी बंगाल हाउसिंग बोर्ड व्दारा किये गये प्राविधानों का अध्ययन कर लिया जाय और परिषद की अगली बैठक में रखा जाय।

21- लेखा मैनुअल तैयार करने के सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लिया जाय कि लेखा मैनुअल का कार्य किस निश्चित एजेन्सी व्दारा कराया जाय, और अगली बैठक में इसकी सूचना दी जाय।

22- परिषद की वित्तीय स्थिति के पूर्ण अध्ययन के सम्बन्ध में हडको कन्सल्टेन्सी सर्विस की सेवायें प्राप्त की जायें और इसके लिये टर्म्स आफ रिफ्रेन्स उनके पास तत्काल भेजे जायें।

23- विभागीय निर्माण इकाई/खण्ड गोदामों में भूतपूर्व सैनिकों को संग्रहीत वेतन पर चौकीदार नियुक्त करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव का पुनः परीक्षण करके परिषद की अगली बैठक में रखा जाय।

3- बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति तथा परिषद के अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलापों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुश्रवण समिति की आख्या पर विचार।

चतुर्थ/(3)/83

बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति तथा परिषद के अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलापों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुश्रवण समिति की आख्या पर विचार-विमर्श हुआ और निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

1- वर्ष-1983-84 के लिये निर्धारित भवन/भूखण्डों के लक्ष्य की प्राप्ति के संदर्भ में प्रत्येक त्रैमास में की गयी वास्तविक प्रगति की जानकारी कराने हेतु भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना परिषद की बैठक में रखी जाय।

2- भूमि अर्जन की कार्यवाही ओर प्रभावी ढंग से करायी जाय और यह सुनिश्चित कराया जाय कि अधिकाधिक मात्रा में भूमि का कब्जा परिषद को मिल सके तथा प्रतिकर का निर्धारण कराकर उसका वितरण सुनिश्चित कराया जाय।

3- भूमि विकास हेतु निर्धारित लक्ष्य की शत प्रतिशत प्राप्ति हेतु समयबद्ध कार्यक्रम बना लिया जाय और विभिन्न स्तरों पर इसका अनुश्रवण किया जाय।

4- निर्मित सम्पत्तियों के मूल्यांकन अभिलेख परिषद व्दारा निर्धारित समयावधि के भीतर मूल्यांकन अधिकारी को भिजवा दिया जाना सुनिश्चित किया जाय।

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 4- वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग का पुनर्गठन। | चतुर्थ/(4)/83 | अगली बैठक में विचार हेतु स्थगित। |
| 5- उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद भूखण्डों तथा भवनों के पंजीकरण एवं प्रदेशन विनियम-1979 में संशोधन/सम्बर्धन के सम्बन्ध में। | चतुर्थ/(5)/83 | परिषद व्दारा सर्वसम्मति से विचार विमर्श के उपरान्त इस संशोधन के साथ स्वीकृत किया गया कि 80 स्क्वायर मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड नकद पर न बेचे जायें तथा किस्तों की अदायगी हेतु निर्धारित किस्तों की संख्या पूर्ववत् बनी रहे। |
| 6- अल्प आय वर्ग के अन्तर्गत निर्मित भवनों में 25% भवन नकद क्रय पद्धति पर प्रदिष्ट किये जाने के सम्बन्ध में। | चतुर्थ/(6)/83 | परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। |
| 7- श्री गुलाब सेहरा को विदेशी मुद्रा में आवंटित भूखण्ड सं0-169 का भुगतान देशी मुद्रा तथा किस्तों में किया जाना। | चतुर्थ/(7)/83 | परिषद के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया कि इस संदर्भ में शासन के कुछ आदेश प्राप्त हुये हैं जिस पर कार्यवाही की जा रही है। अतः इसे वापस ले लिया गया। |
| 8- हडको व्दारा वित्त पोषित कम्पोजिट हाउसिंग प्रोजेक्ट पाण्डेपुर वाराणसी (स्कीम-नं0-2388) | चतुर्थ/(8)/83 | परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। |
| 9- इन्दिरा नगर विस्तार योजना, लखनऊ के सेक्टर-22 में 12 दुकानों का निर्माण। | चतुर्थ/(9)/83 | परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की। |
| 10- इन्दिरा नगर योजना लखनऊ में सेक्टर-6 में 152 दुकानों का परिषद फण्ड से निर्माण। | चतुर्थ/(10)/83 | परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। |
| 11- सितारगंज भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सितारगंज (जिला-नैनीताल) क्षेत्रफल 52.00 एकड़ अनुमानित लागत 83.52 लाख) | चतुर्थ/(11)/83 | परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। |
| 12- खटीमा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना खटीमा (जिला-नैनीताल) क्षेत्रफल 9.42 एकड़ अनुमानित लागत 8.717 लाख) | चतुर्थ/(12)/83 | परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। |
| 13- वृन्दावन भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना। | चतुर्थ/(13)/83 | परिषद व्दारा विचार-विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। |
| 14- परिषद योजनाओं को ग्रीन बर्ज भूमि के आवंटन तथा निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्त। | चतुर्थ/(14)/83 | परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 15- | परिषद की योजनाओं में नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम के अन्तर्गत प्रभावित भूमि को अध्यापित करने के विषय में। | चतुर्थ/(15)/83 | परिषद व्दारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। |
| 16- | एटा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-2 एटा। | चतुर्थ/(16)/83 | परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि जिला मैजिस्ट्रेट, एटा व्दारा इस योजना के संदर्भ में की गयी आपत्ति पर विचार करने हेतु पुनः नियोजन समिति स्थल पर जाकर जिला मैजिस्ट्रेट से विचार-विमर्श करें और अपने संविचारित मत से अगली बैठक में परिषद को अवगत करायें। |
| 17- | हडको वित्त पोषित प्रथम हडको कम्यो0 प्रोजेक्ट झूंसी, इलाहाबाद (स्कीम नं0-2444) | चतुर्थ/(17)/83 | परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। |
| 18- | हडको वित्त पोषित कम्योजिट प्रोजेक्ट डमरोली, मिर्जापुर (स्कीम नं0-2462) | चतुर्थ/(18)/83 | परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की। |
| 19- | हडको वित्त पोषित तृतीय हडको कम्यो0 प्रोजेक्ट ट्रांस यमुना एरिया, आगरा (स्कीम-नं0-2445) | चतुर्थ/(19)/83 | परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की। |
| 20- | लखनऊ कुर्सी रोड पर कुर्सी रोड विस्तार योजना की धारा-28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन। | चतुर्थ/(20)/83 | परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। |
| 21- | परिषद व्दारा प्रस्तावित दुर्बल आय वर्ग के 15/40 प्रकार के भवनों में किचन बनाने एवं उस पर छत डालने के सम्बन्ध में। | चतुर्थ/(21)/83 | परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की। |
| 22- | दोहरीघाट रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, आजमगढ़। | चतुर्थ/(22)/83 | परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस योजना हेतु जिन गैर हरिजनों की भूमि अधिग्रहीत की जा रही है उसका कब्जा शीघ्र प्राप्त कर निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ की जाय। जहां तक हरिजनों की अधिग्रहीत भूमि को मुक्त करने का संबंध है, इसके बारे में ली गयी विधिक राय की जानकारी जिला मैजिस्ट्रेट, आजमगढ़ को करायी जाय और उनके माध्यम से सम्बन्धित भू-स्वामियों से पूछा जाय कि क्या वह कब्जा प्राप्त भूमि के पुनः हस्तान्तरण करने की दशा में स्टेम्प पर एवं रजिस्ट्रेशन फीस वहन करने के लिये तैयार है या नहीं। |
| 23- | तुलसीपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, वाराणसी के सम्बन्ध में। | चतुर्थ/(23)/83 | परिषद व्दारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 24- | एटा केपिंग ग्राउण्ड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1, एटा (क्षेत्रफल 39.14 एकड़) तथा अनुमानित लागत रु0 86.686 लाख) | चतुर्थ/(24)/83 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि नियोजन समिति जिला मैजिस्ट्रेट, एटा से सम्पर्क कर उनसे यह जानकारी करलें कि उन्हें समन्वित विकास योजनान्तर्गत कितनी भूमि की आवश्यकता होगी और यदि वह तैयार हो तो पूरी भूमि परिषद के पक्ष में रक्षा विभाग से स्थानान्तरित करा ली जाय और हस्तान्तरण के पश्चात् जिला अधिकारी, एटा की मांग के अनुसार हस्तान्तरित भूमि में से उन्हें भूमि उपलब्ध करा दी जाय। |
| 25- | इन्दिरा नगर योजना लखनऊ में श्रीमती प्रेम सेठ को अतिरिक्त भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में। | चतुर्थ/(25)/83 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि श्रीमती प्रेम सेठ के पक्ष में अर्जन से मुक्त भूमि के दक्षिण की अतिरिक्त भूमि भूखण्ड-संख्या-ए0-170/3-ए0-170/4 जिसकी कुल क्षेत्रफल 273.68 व0मी0 है वर्तमान विकसित मूल्य पर श्रीमती प्रेम सेठ को दे दी जाय। |
| 26- | सीतापुर योजना सं0-2 के परित्याग करने के सम्बन्ध में। | चतुर्थ/(26)/83 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। |
| 27- | लेखाधिकारी एवं सम्परीक्षण अधिकारी के पुनरीक्षित वेतनमानों का निर्धारण। | चतुर्थ/(27)/83 | परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की। |
| 28- | उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा निर्मित भवनों/भूखण्डों/दुकानों के आवंटन में समाज के विशिष्ट वर्ग के लिये आरक्षण। | चतुर्थ/(28)/83 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।<br>यह भी निर्णय लिया गया कि परिषद कर्मचारियों को आवंटित सम्पत्ति के मूल्य के बारे में जो 10% की छूट पहले दी जा रही थी उसे पूर्ववत् लागू करने हेतु औचित्य दर्शाते हुये शासन को संदर्भ भेजकर शासकीय आदेश प्राप्त कर लिये जायें। |
| 29- | लेखपालों के पदों का सृजन एवं नियुक्ति। | चतुर्थ/(29)/83 | परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की। |
| 30- | द्वितीय वेतन आयोग लागू करने पर कर्मचारियों द्वारा बतलायी गयी विसंगतियों के संबंध में। | चतुर्थ/(30)/83 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि कर्मचारियों ने वेतन विसंगतियों के सम्बन्ध में जो प्रत्यावेदन दिये हैं उन्हें शासन द्वारा एतदर्थ गठित समिति के पास विचारार्थ भेज दिया जाय। |
| 31- | अध्यक्ष की अनुमति से।<br>(1) श्री आर0सी0सक्सेना, अधीक्षण अभियन्ता (निलम्बित) को दी गयी "हेतु संदर्शित नोटिस" के सम्बन्ध में। | चतुर्थ/(31)/83 | इस सम्बन्ध में श्री सक्सेना द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर की गयी याचिका की जानकारी परिषद को करायी गयी। सर्वसम्मति से विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उच्च न्यायालय में इस मामले के शीघ्र निस्तारण हेतु औचित्य दर्शाते हुये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाय। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| (2) | परिषद में एक्सग्रेशिया के भुगतान के सम्बन्ध में। | | उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों को एक्सग्रेशिया(अनुग्रह धनराशि) स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में परिषद को अवगत कराया गया कि परिषद में बोनस एक्ट लागू नहीं है किन्तु परिषद की विगत बैठक दिनांक 10-12-1981 में इस संदर्भ में विस्तृत विचार विमर्श हुआ था और इस सम्बन्ध में शासनादेश प्राप्त करने के निर्देश परिषद ने दिये थे। तदनुसार शासन को 7-4-1983 को यह मामला संदर्भित किया गया था और शासन से अनुग्रह धनराशि के भुगतान की अनुमति मांगी गयी थी। परिषद को यह भी अवगत कराया गया कि तब से निरन्तर प्रयास करने के वावजूद शासन के कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुये हैं। परिषद के संज्ञान में यह तथ्य लाये गये कि जल निगम ने दिनांक 22-4-1983 को हुई बैठक में निगम के कर्मचारियों को एक्सग्रेशिया के भुगतान का निर्णय ले लिया है और परिषद के अधिकारी/कर्मचारी तब से निरन्तर एक्सग्रेशिया के भुगतान पर बल देते आ रहे हैं। परिषद कर्मचारियों ने अपनी इस मांग के संदर्भ में 3 दिन का सामूहिक आकस्मिक अवकाश लिया था और मुख्यालय पर 6-5-1983 को प्रदर्शन भी किया था और आगे भी इस मांग को मनवाने के लिये अन्य कार्यवाही करने की योजना बनायी थी। परिषद अधिकारियों/कर्मचारियों को पेन्शन, ग्रेचुटी, बोनस आदि की कोई सुविधा नहीं मिलती। राज्य विद्युत परिषद, उ0प्र0, राज्य चीनी निगम, उ0प्र0 वित्तीय निगम तथा कुछ अन्य निगमों/उपक्रमों में ऐसी सुविधा पहले से ही दी जा रही है और अब चूंकि इस बीच जल निगम में भी यह सुविधा दे दी गयी है अत: यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्ष-1982-83 के लिये 8.33% की दर से एक्सग्रेशिया का भुगतान कर दिया जाय। इस निर्णय को लेने में इस बात को भी ध्यान रखा गया है कि परिषद में इस वर्ष अधिकतम संख्या में भवनों और भूखण्डों का आवंटन किया गया है तथा इस वर्ष परिषद के देयों की वसूली में नया कीर्तिमान भी स्थापित हुआ है।<br><br>वेतन सीमा के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि रु0 1600/= प्रतिमाह तक पाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को एक्सग्रेशिया दिया जायेगा परन्तु एक्सग्रेशिया की मात्रा निकालने हेतु वेतन की अधिकतम सीमा रु0 750/= प्रतिमाह होगी। |
| (3) | श्री हर भजन सिंह प्रभारी कार्य अधीक्षक, वि0नि0ई0-15, लखनऊ के परिषद में अधिशासी अभियन्ता के पद पर संविलियन हेतु टिप्पणी। | | श्री हर भजन सिंह के उत्कृष्ट कोटि के तकनीकी ज्ञान, अनुभव तथा उनकी परिषद में सेवाओं की उपयोगिता को देखते हुये तथा टिप्पणी में वर्णित विशिष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये सर्वसम्मति से संविलियन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।<br><br>यह भी निर्णय लिया गया कि परिषद की अनुश्रवण समिति की बैठक दिनांक 2 जुलाई, 1983 को प्रात: 10-30 बजे परिषद मुख्यालय पर होगी तथा परिषद की बैठक 4 जुलाई, 1983 को प्रात: 10-30 बजे मुख्यालय पर होगी। |

बैठक अध्यक्ष महोदय को आभार प्रकट करते हुये समाप्त की गयी।

—

पुष्टि की गई

16/7/1983

अध्यक्ष